बिहार सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग।

आदेश।

दिनांक–09.01.2018 को बालू के बन्दोबस्तधारियों के साथ बैठक के क्रम में सूचना प्राप्त हुआ कि पश्चिम बंगाल एवं झारखण्ड से बालू लदे वाहन राज्य में काफी मात्रा में प्रवेश कर रहा है, जिसमें Over loaded तथा अवैध बालू लदे वाहन भी हो सकता है। मुख्य रूप से राज्य में प्रवेश (1) डोबी, जिला गया (2) रजौली, जिला नवादा (3) चकिया, जिला जमुई एवं (4) वाँसी, जिला बांका से किया जाता है।

इन उपर्युक्त जिलों के जिला खनन पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि उनके पास उपलब्ध SAP जवान तथा Home Guard को उपयोग करते हुये लगातार इन सभी जगहों पर विशेष निगरानी रखें तथा सभी बालू लदे वाहन का Checking करे ताकि किसी भी हालत में अवैध बालू का वाहन राज्य के अन्दर प्रवेश न हो सके। अवैध बालू जिले पर अवीलम्ब वाहन को जप्त करते हुये वाहन मालिक सहित अन्य लोगों पर प्राथमिकि दर्ज करें। जब्त बालू को जिला के Buffer Stock में रखा जा सकता है। बल के कमी होने की स्थिति में संबंधित जिला पदाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क कर अतिरिक्त बल के लिये अनुरोध करेंगे, ताकि शक्ति से कार्रवाई की जा सके। की गयी कार्रवाई के संबंध में प्रतिदिन विभाग को सूचना उपलब्ध करायेंगे।

ह0/–
(असंगबा चुबा आओ)
विशेष सचिव–सह–निदेशक।

ज्ञापांक–   /एम0,   पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–खनिज विकास पदाधिकारी, गया/नवादा/जमुई एवं बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
विशेष सचिव–सह–निदेशक।

ज्ञापांक– 201 /एम0,   पटना, दिनांक– 11/1/18

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, गया/नवादा/जमुई एवं बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव–सह–निदेशक।